फाइल नं0-71-3099/151/2023-03

35/2024/I/511265/2024

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 04 मार्च, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के मेडिकल कालेज, ललितपुर, कौशाम्बी, औरैया, सोनभद्र, चन्दौली, पीलीभीत, कानपुर देहात तथा बिजनौर हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि को एस0एन0ए0 एकाउण्ट में अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2023-24/603, दिनॉक 14.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के मेडिकल कालेज, ललितपुर, कौशाम्बी, औरैया, सोनभद्र, चन्दौली, पीलीभीत, कानपुर देहात तथा बिजनौर हेतु प्रस्तावित उपकरणों की सूची (संलग्नक के अनुसार) को अनुमोदित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-789-8901-14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना हेतु मानक मद-26-मशीनें और सज्जाउपकरण और संयंत्र में प्राविधानित / धनराशि रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष रू0 1590.00 लाख **(रूपये पन्द्रह करोड़ नब्बे लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

3- भारत सरकार द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों हेतु वांछित राज्यांश की स्वीकृत की जा रही धनराशि को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यालय के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर सिंगल नोडल एजेन्सी के सिंगल नोडल एकाउन्ट संख्या- 40601009117, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ के खाते में रखा जायेगा, जिसे संबंधित प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. उपकरण का क्रय वास्तविक आवश्यकतानुसार जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु संबंधित प्रधानाचार्य को अधिकृत किया जाता है। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
2. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय पूर्व निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार किया जाएगा। जिन उपकरणों का स्पेशिफिकेशन निर्धारित नही है, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं मेडिकल कालेज के अन्य विशेषज्ञों की समिति गठित कर स्पेशिफिकेशन निर्धारित कराये जाने के उपरान्त उपकरणों का क्रय किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरणों का क्रय एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता व आडिट आदि की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाचार्य की होगी।
4. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें की पूर्ति कर ली जाए।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
8. उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0 को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
9. उपकरण के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
12. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त पर होने वाला व्यय रूपये 15,90,00,000 (रूपये पन्द्रह करोड़ नब्बे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037898901 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या/द्विनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य, ललितपुर, कौशाम्बी, औरैया, सोनभद्र, चन्दौली, पीलीभीत, कानपुर देहात तथा बिजनौर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, ललितपुर, कौशाम्बी, औरैया, सोनभद्र, चन्दौली, पीलीभीत, कानपुर देहात तथा बिजनौर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, ललितपुर, कौशाम्बी, औरैया, सोनभद्र, चन्दौली, पीलीभीत, कानपुर देहात तथा बिजनौर
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-

र0 सं0	कालेज/संस्थान का नाम	उपकरण का नाम	मात्रा	प्रति यूनिट धनराशि (जी0एस0टी0 सहित)	कुल धनराशि (जी0एस0टी0 सहित)
1	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , ललितपुर	एक्सरे मशीन 1 > 500 एमए (डीआर सिस्टम सहित)	01	1 , 50 , 00 , 000/-	1 , 50 , 00 , 000/-
2	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , कौशाम्बी	Xray Static unit > 500 mA (DR System)	01	1 , 50 , 00 , 000/-	1 , 50 , 00 , 000/-
3	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , औरैया	एक्सरे मशीन 1 > 500 एमए (डीआर सिस्टम सहित)	02	1 , 50 , 00 , 000/-	3 , 00 , 00 , 000/-
		USG with color doppler	01	45 , 00 , 000/-	45 , 00 , 000/-
4	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , सोनभद्र	Xray Static unit > 500 mA (DR System)	01	1 , 50 , 00 , 000/-	1 , 50 , 00 , 000/-
5	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , चन्दौली	Xray Static unit > 500 mA (DR System)	02	1 , 50 , 00 , 000/-	3 , 00 , 00 , 000/-
		USG with color doppler	01	45 , 00 , 000/-	45 , 00 , 000/-
6	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , पीलीभीत	Xray Static unit 8 00 mA (DR System)	01	1 , 50 , 00 , 000/-	1 , 50 , 00 , 000/-
7	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , कानपुर देहात	Xray Static unit 8 00 mA (DR System)	01	1 , 50 , 00 , 000/-	1 , 50 , 00 , 000/-
8	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , बिजनौर	एक्सरे मशीन 1 > 500 एमए (डीआर सिस्टम सहित)	01	1 , 50 , 00 , 000/-	1 , 50 , 00 , 000/-
				कुल योग रू0	15 , 90 , 00 , 000/-

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।